

तारीख  
हुक्म

15/11/2020

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उपण।  
प्रकरण में वकील वादी द्वारा 8/11/17  
से आदिनांक तक बार-बार भवसर  
दिये जाने के उपरान्त भी आदिनांक तक  
संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया है  
तथा न ही PIF सम्मन पेश किये हैं।  
वकील वादी द्वारा बार-बार समय  
दिये जाने के उपरान्त भी संशोधित  
शीर्षक व PIF सम्मन पेश नहीं किये  
हैं अतः पत्रावली Non Compliance  
में खारीज की जाती है। निम्न सरेजलस  
सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुद्ध लेकर  
गम्बर से कट हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली

